दिनांक–10 जुलाई, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

गृह (विशेष) विभाग

1. विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा–45 की उप धारा–(2) सहपठित धारा–52 की उप धारा (2) के खण्ड–(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (अनुशंसा और अभियोजन की स्वीकृति) नियमावली–2012 के संबंध में। स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

2. चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना अन्तर्गत मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को योजना संबद्ध आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सघन मत्स्य बीज उत्पादन तथा उन्नत अंगुलिकाओं की आपूर्ति की योजना की कुल 850.00 लाख (आठ करोड़ पचास लाख) रूपये की लागत पर कार्यान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

3. केन्द्र सरकार के संपूर्ण व्यय पर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) के अन्तर्गत मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) के कार्यालय में 12th पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक पाँच वर्षों के लिए मो० 2,47,98,500.00 रूपये (दो करोड़ सैतालीस लाख अन्ठानवे हजार पाँच सौ रूपये) के अनुमानित व्यय पर एक कोषांग गठित करने हेतु एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक एवं तीन अन्वेषकों सहित कुल छः पदों के सृजन की स्वीकृति। स्वीकृत।

वित्त विभाग

4. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधीन अपर जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी के लिए वेतनमान ₹ 5500–9000/– का आर्थिक लाभ दि०–01.01.06 के स्थान पर दि०–01.01.96 से वैचारिक एवं दिनांक– 01.04.1997 से वास्तविक रूप से लाभ दिये जाने के संबंध में। स्वीकृत।

वित्त विभाग

5. बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (ख) के बाद एक अतिरिक्त कंडिका–43(ग) के रूप में नये प्रावधान को जोड़े जाने के संबंध में। स्वीकृत।

कृषि विभाग

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का वर्ष 2012–13 में 120.96 करोड़ रूपये (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 101.07 करोड़ रूपये, राज्य योजना –19.89 करोड़ रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन, किसानों को बीज, कृषि यंत्र तथा सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैव उर्वरक पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में अनुमान्य अनुदान के अतिरिक्त राज्यांश मद से अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति। — स्वीकृत।

कृषि विभाग

7. केन्द्र प्रायोजित मैक्रोमोड योजना अन्तर्गत कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम का वर्ष 2012–13 में कुल 6042 लाख रूपये (साठ करोड़ बयालीस लाख रूपये) (केन्द्रांश–3817.80 लाख रूपया राज्यांश–2224.20 लाख रू०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा ट्रैक्टर एवं जीरो टिलेज पर केन्द्र प्रायोजित योजना में अनुमान्य अनुदान के अतिरिक्त राज्यांश मद से अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति। — स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य विकास)

8. वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल ₹ 1806.8685 लाख (रूपये अठारह करोड़ छः लाख छियासी हजार आठ सौ पच्चास) मात्र के विभागीय अनुदान पर डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डेरी इंटरप्रेन्यूरशिप डेवलपमेन्ट स्कीम) की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य विकास)

9. कृषि रोड मैप के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कुल ₹ 2594.8367 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ चौरानवे लाख तेरासी हजार छः सौ सत्तर) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का गठन, मानव बल विकास योजना (प्रशिक्षण), बल्क मिल्क कूलर की स्थापना, दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के गुण नियंत्रण एवं प्रशिक्षण हेतु आधारभूत संरचना अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक मिल्कों टेस्टर एवं स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र के स्थापना, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना तथा योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकण से संबंधित योजना की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

10. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू० 8336.00 लाख (तेरासी करोड़ छत्तीस लाख) के व्यय की स्वीकृति। — स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

11.	सुशासन के कार्यक्रम अन्तर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से संचालन हेतु स्वीकृत राज्य सम्पोषित "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना" के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 25.00 करोड़ रूपये की दर से कुल 125.00 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति तथा इस योजना पर वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान प्रति वर्ष 25.00 करोड़ रूपये बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को हिस्सा पूंजी के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति तथा इस अवधि में प्रति वर्ष 25.00 करोड़ रूपये की दर से 125.00 करोड़ रूपये व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

12.	बेगुसराय जिलान्तर्गत किउल नदी से शाम्हों हाई स्कूल होते हुए घघराहा तक पथ के प्रथम कि०मी० में किउल नदी पर पहुँच पथों सहित 16x24.75mtr. आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य निमित्त विभागीय ज्ञापांक 1395 (एस०), पटना, दिनांक–06.02.2007 के द्वारा कुल 19.66631 करोड़ (उन्नीस करोड़ छियासठ लाख तिरेसठ हजार एक सौ) रूपये हेतु प्रदत्त मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि को प्रथम बार पुनरीक्षित करते हुए कुल 28.0661 करोड़ (अठाईस करोड़ छः लाख इकसठ हजार) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित व्यय पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

13.	केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित पथ प्रमंडल, मुंगेर के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–72 के जमुई–लक्ष्मीपुर–खड़गपुर–बरियारपुर खण्ड के कि०मी० 30.30 से 44.45 तक कुल लम्बाई–14.15 कि०मी० पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य (जॉब सं०–सी०आर०एफ०/बी०आर०/2011–12/53) अन्तर्गत कुल ₹ 2617.73 लाख (छब्बीस करोड़ सतरह लाख तिहत्तर हजार) की अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

14. Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS) योजना के कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि ₹ 5966.46 लाख (उनसठ करोड़ छियासठ लाख छियालीस हजार रू०) तथा कार्य को पूर्ण कराने हेतु राज्य योजना मद से कुल ₹ 1454.01 लाख (चौदह करोड़ चौबन लाख एक हजार रू०) यानी कुल ₹ 7420.47 लाख (चौहत्तर करोड़ बीस लाख सैंतालीस हजार रू०) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा राशि किस्तों में विमुक्त करते हुए केन्द्रांश का ₹ 5000.00 लाख (पचास करोड़ रू०) तथा राज्यांश का ₹ 1000.00 लाख (दस करोड़ रू०) कुल ₹ 6000.00 लाख (साठ करोड़ रू०) वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में तथा शेष राशि अगामी वित्तीय वर्षों में स्वीकृत योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत विमुक्त करने तथा व्यय चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में। — स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

15. राज्य के भवन विहिन थानों, ओ०पी० एवं पुलिस लाईन के भवन निर्माण, बैरक, पुलिस आवासीय भवनों आदि के निर्माण हेतु लागत कुल राशि ₹ 24060.821 (दो सौ चालीस करोड़ साठ लाख बेरासी हजार एक सौ रू०) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना उद्व्यय तथा बजट में उपबंधित राशि तक व्यय सीमित रखते हुए योजना का कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में। — स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

16. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित पथ प्रमंडल, मुंगेर के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–72 के जमुई–लक्ष्मीपुर–खड़गपुर–बरियारपुर खण्ड के कि०मी० 44. 45 से 57.70 तक कुल लम्बाई–13.25 कि०मी० पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य (जॉब सं०–सी०आर०एफ०/बी०आर०/2011–12/54) अन्तर्गत कुल ₹ 2588.75 लाख (पच्चीस करोड़ अठ्ठासी लाख पचहत्तर हजार) की अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग
(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण)

17. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियोजित कुल 236 (दो सौ छत्तीस) व्यावसायिक अनुदेशकों की संविदा के नवीकरण की स्वीकृति। — स्वीकृत।

उद्योग विभाग

18. वित्तीय वर्ष 2012–13 में उद्योग मित्र योजना हेतु कुल ₹ 104.00 लाख (एक करोड़ चार लाख) सहायक अनुदान की स्वीकृति। — स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

19. ईट–भट्टों द्वारा देय समाहितीकरण राशि में वृद्धि किये जाने के संबंध में। — स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

20. सदस्य, बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारी को सहायक निबंधन महानिरीक्षक/निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक वेतनमान पी०बी०–3–15,600–39,100 ग्रेड पे–7,600 से उप निबंधन महानिरीक्षक वेतनमान पी०बी०–4–37,400– 67,000 ग्रेड पे–8,700 में प्रोन्नति की स्वीकृति। — स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

21. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू० 14008.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़ आठ लाख) के व्यय की स्वीकृति। — स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

22. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू० 741.60 लाख (सात करोड़ एकतालीस लाख साठ हजार) के व्यय की स्वीकृति। — स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

23. बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू० 14400.00 लाख (एक सौ चौवालीस करोड़) के व्यय की स्वीकृति। — स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

24.	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू० 21600.00 लाख (दो सौ सोलह करोड़) के व्यय की स्वीकृति।	स्वीकृत।